भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GH 161452

NOTARY NOTARIAL R.C. VERMA Adv. & Notary LKO. (U.P.) INDIA Regd. 3164/2006 UTTAR PRADESH

(प्रारूप–"अ") शपथ–पत्र

हम डॉ0 श्रुति सिंह एवं डॉ0 रोशन कुमार झा क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव प्लैटिनम एजूकेशनल ट्रस्ट, बिलांदपुर, नियर दुर्गा मंदिर, दाउदपुर, जिला–गोरखपुर शपथ पूर्वक बयान करते है :–

1. यह कि हमारे ट्रस्ट द्वारा प्लैटिनम इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पता ग्राम–सेमरा, नियर एच0पी0 पेट्रोल पम्प, पो0 व तह0–सहजनवा, जिला–गोरखपुर नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि हमारे ट्रस्ट के नाम से ग्राम–सेमरा, नियर एच0पी0 पेट्रोल पम्प, पो0 व तह0–सहजनवा, जिला–गोरखपुर के गाटा संख्या 246, 247, 248 व 256 में कुल रकबा 0.8100 हे0 भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 246, 247, 248 व 256 रकबा 0.8100 हे0 पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 04.02.2020 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

ATTESTED
Sworn & Verified Before Me,
R.C. VERMA
(Advocate)
NOTARY
Lucknow (U.P.) INDIA
Date.......

Chairman/Secretary
Platinum Educational Trust
Gorakhpur

6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित [illegible] निर्धारित भवनों का ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि उक्त भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर भवनों पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि इस संस्थान में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्‌यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्‌यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्‌यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती ट्रस्ट/सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि [illegible] संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी [illegible] पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज झूठी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानूनी [illegible] कार्यवाही की जा सकेगी। एवं की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

R.C. VERMA
(Advocate)
NOTARY
Lucknow (U.P.) INDIA
Date............ 02/10/23

I know and identify the deponent who has signed put T.I. before me.

ह० [illegible]

ह० शपथी